न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सामनाथ, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 09/2023

उनवान

1. श्री भंवरलाल पिता मांगू गुर्जर निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।

– अपीलार्थी

बनाम

1. श्री मांगू पिता बीरम गुर्जर निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री नन्दलाल पिता स्व0 देबी गुर्जर निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।
3. श्री बंशीलाल पिता स्व0 देबी गुर्जर निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।
4. श्रीमति सायरी पत्नि स्व0 देबी गुर्जर निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।
5. श्रीमति भूरी पत्नि स्व0 सत्यनाराण गुर्जर निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्री सुनिल पिता स्व0 सत्यनारायण गुर्जर निवासी पालडी तहसील व जिला भीलवाडा।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा–75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थितः–

1. अधिवक्ता अपीलार्थी श्री श्रवण कुमार सैन
2. रेस्पोडेन्टस सं0 1 से लगायत 6 के विरूद्व एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक 20.03.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्तर्गत मामले में अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पालडी के समक्ष ग्राम पालडी तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 990 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा में 1/2 आधा हिस्सा विक्रय से देबी पिता बीरम के बजाय मांगु पिता बीरम का 1/2 आधा हिस्सा विक्रय से नामान्तकरण संख्या 1205 पटवार हल्का पालडी द्वारा दिनांक 03.09.2003 को भर कर, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें भू अभिलेख निरीक्षक ने भी किसी प्रकार की जांच व तहकीकात नही कर, पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण को सही मानकर दिनांक 03.09.2003 को अपनी जांच रिपोर्ट में जांच की इन्द्राज सही है, कार्यवाही बैरून मियाद है कि रिपोर्ट की गई व उक्त नामान्तकरण संख्या 1205 को स्वीकृत कराया जानेक हेतु अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पालडी के समक्ष प्रस्तुत जिसमें अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पालडी ने भी किसी प्रकार की जांच व तहकीकात नही कर, पटवारी हल्का द्वारा भरे गये नामान्तकरण को एवं उक्त नामान्तकरण पर की गई भू अभिलेख निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार मानकर अधिनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत पालडी ने भी मांगु पिता बीरम का हिस्सा 1/2 कता अपीलार्थी भंवर पिता मांगु गुर्जर के नाम पर स्वीकृत कर दिया जबकि अपीलार्थी भंवर पिता मांगु गुर्जर ने देबी पिता बीरम का 1/2 आधा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.04.2003 को क्रय किया, गलत नामान्तकरण होने की जानकारी हाल ही में देबी के वारिस प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थी को मोके से बेदखल कर देबी की विरासत अपने नाम खुलवा, अन्य व्यक्तियो को अन्तरण करन की धमकी दी, जिससे नामान्तकरण की नकल हेतु दिनांक 08.05.2023 को आवेदन कर दिनांक 10.05.2023 को नकल प्राप्त करने पर सम्पूर्ण तथ्यो की जानकारी हुई नामान्तकरण संख्या 1205 से असुन्तष्ट होकर अपीलार्थी की और से यह अपील निम्न अजरात के साथ श्रीमान के समक्ष है।

अन्त में निवेदन किया कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर ग्राम पंचायत पालडी के नामान्तकरण संख्या 1205 आदेश 5.09.2005 में आराजी नम्बर 990 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा गलत इन्द्राज करने से एवं ग्राम पंचायत पालडी द्वारा नामान्तरकरण पर आदेश पारित करते समय विक्रेता देबी पिता बिरम गुर्जर के बजाय मांगु पिता बिरम गुर्जर का हिस्सा भंवर पिता मांगु गुर्जर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जो त्रुटिपूर्ण है जिसे दुरुस्त कराये जाने की प्रार्थना की है। अपीलार्थी ने अपील के समर्थन में नामान्तकरण संख्या 1205 की

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रमाणित प्रति एवं ग्राम पालडी की जमाबन्दी संवत 2069 से 2073 खाता संख्या 268 की प्रति एवं रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.04.2003 की मूल प्रति संलग्न की है।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर रेस्पोडेन्ट के सम्मन जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट के उपस्थित नही होने से एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिये गये।

अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, बहस के दौरान बताया कि ग्राम पंचायत पालडी के नामान्तकरण संख्या 1205 आदेश 5.09.2005 में आराजी नम्बर 990 रकबा 1 बीघा 08 बिस्वा भूमि में रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा गलत इन्द्राज करने से एवं ग्राम पंचायत पालडी द्वारा नामान्तरकरण पर आदेश पारित करते समय विक्रेता देबी पिता बिरम गुर्जर के बजाय मांगु पिता बिरम गुर्जर का हिस्सा भंवर पिता मांगु गुर्जर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति प्रदान की जो त्रुटिपूर्ण है जिसे दुरूस्त कराई जावे।

अपीलार्थी की अपील मेमो का अध्ययन किया। बहस पर मनन् किया। अपील में उपलब्ध दस्तावेजात का परीक्षण किया। ग्राम पालडी तहसील भीलवाडा की आराजी नम्बर 990 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा भूमि मागु, देबी पिता बीरम गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज रेकार्ड थी जिसमें से देबी पिता बीरम ने अपना 1/2 हिस्सा भंवर पिता मांगू गूर्जर को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.4.2003 से विक्रय किया गया लेकिन पटवारी हल्का पालडी ने नामान्तकरण संख्या 1205 में कॉलम संख्या 09 में इन्द्राज करते समय भंवर पिता मागू 1/2 एवं देबी पिता बिरम 1/2 गुर्जर अंकित किया जबकि देबी पिता बीरम के बजाय मांगू पिता बिरम गुर्जर 1/2 दर्ज किया जाना चाहिए था ग्राम पंचायत पालडी ने अपने आदेश दिनांक 5.9.2003 में देबी पिता बिरम के बजाय मांगू पिता बिरम का हिस्सा भंवर पिता मांगू गुर्जर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है जो त्रुटिपूर्ण है जबकि विक्रेता देबी पिता बिरम गुर्जर का हिस्सा भंवर पिता मांगू गुर्जर के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। उपरोक्तानुसार पटवारी हल्का पालडी ने भी नामान्तकरण दर्ज करते समय कॉलम संख्या 09 में गलत इन्द्राज किया इसी के साथ ग्राम पंचायत पालडी ने भी अपने निर्णय दिनांक 5.09.2003 में भी विक्रेता देबी पिता बीरम के बजाय मांगू पिता बीरम का हिस्सा भंवर पिता मांगू गुर्जर के नाम दर्ज कर दिया गया। जो त्रुटिपूर्ण है। उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार योग्य ठहरती है अतःएवं

:: आदेश ::

अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट की स्वीकार की जाकर ग्राम पालडी प0ह0 पालडी भू0अ0नि0 सांगानेर के नामान्तकरण संख्या नामान्तकरण संख्या 1205 में आराजी नम्बर 990 के संबंध में सरपंच ग्राम पंचायत पालडी द्वारा पारित आदेश दिनांक 5.09.2003 में देबी पिता बिरम के बजाय मांगू पिता बिरम का हिस्सा भंवर पिता मांगू गुर्जर के नाम दर्ज करने की स्वीकृति दी गई है जो त्रुटिपूर्ण है। नामान्तकरण संख्या 1205 निर्णय दिनांक 5.09.2005 सरपंच ग्राम पंचायत पालडी को अपास्त किया जाता है एवं उक्त नामान्तकरण को रिमाण्ड कर तहसीलदार भीलवाडा को निर्देश दिये जाते है कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 25.4.2003 के आधार पर पुनः नामान्तकरण की कार्यवाही करे। नामान्तकरण की फोटो प्रति एवं निर्णय की फोटो प्रति तहसीलदार भीलवाडा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 20 मार्च 2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा